

प्रेषक,

डी.एस. गर्बाल  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री रत्नेश कुमार सिंह,  
वित्त अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी  
डॉ० पी०द०ब० हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड  
देहरादून।



भाषा अनुभाग

देहरादून: दिनांक : / 8 जुलाई, 2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 11 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, डॉ० पी०द०ब० हिन्दी अकादमी उत्तराखण्ड के पत्रांक-141/बजट/हि०अ०उ०/2013-14, दिनांक 26 जून, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ० पी०द०ब० हिन्दी अकादमी उत्तराखण्ड के अधिष्ठान एवं कार्ययोजना के विभिन्न व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या 11 के लेखा शीर्षक 2202- सामान्य शिक्षा, 102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन, 05- भाषा विकास, 00- आयोजनागत, 13- उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी / 14- उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी की कार्ययोजनाएं के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार कुल प्राविधानित धनराशि 128.00 लाख (रूपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख) के सापेक्ष 106.00 लाख (एक करोड़ छः लाख) मात्र की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या 11

लेखा शीर्षक-

2202- सामान्य शिक्षा

05- भाषा विकास

102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन

00-आयोजनागत

धनराशि हजार रु में

योजना का नाम	मद का नाम	धनराशि
13-उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी	43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	3600
	20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1500
14-उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी की कार्ययोजनाएं	20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5500
कुल योग		10600

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण संबंधी कार्य यथा आवश्यकतानुसार आहरण वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय परिसर, देहरादून द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

(2) विभागीय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप विधिवत् बजट प्रत्येक योजना हेतु पारित/अनुमोदित करा लिया गया हो। दिनांक 05.02.2013 को साधारण सभा एवं प्रबंधकार्यकारिणी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन प्रचलित वित्तीय एवं अन्य नियमों के तहत सुनिश्चित किया जायें।

उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए नहीं किया जाएगा। तथा इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिए ही किया जायेगा।

- (4) उक्त धनराशि व्यय किए जाने हेतु वित्त विभाग के शासनदेश संख्या 284/XXVII(1)/20 दिनांक 30.03.2013 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
- (5) आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर सचिव, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, देहरादून के पी0एल0ए0 में जमा की जायेगी। पी.एल.ए. के नवीनीकरण कराने पश्चात महालेखाकार कार्यालय देहरादून द्वारा पी0एल0ए0 नवीनीकरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा।
- (6) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर्स पचेस रूल्स) वित्तीय संग्रह खण्ड-1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्ठादन नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 आय व व्यय संबंधी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (7) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थापित आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- (8) व्यय की सूचना प्रपत्र बी.एम-13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराई जाए तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।
- (9) हिन्दी अकादमी की कार्ययोजनाओं पर व्यय दिनांक 01.05.2013 को सचिव, भाषा, एवं दिनांक 11.06.2013 को अपर सचिव, भाषा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।
- (10) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 05- भाषा विकास 102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन-00- आयोजनागत के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जाएगा।
- (11) उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0य0 सं0- 25P/XXVII(5)/2013-14 दिनांक 10.07.2013 द्वारा सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(डी.एस. गर्ब्याल)  
सचिव

संख्या: 553 / XXXIX-21(बजट)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- सचिव, डॉ0 पी0द0ब0 हिन्दी अकादमी उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 8- विभागीय आदेश पुस्तिका/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी.एस. गर्ब्याल)  
सचिव